परिषद् के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 25 जून, 1977 को 10.30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को वर्ष 1977 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

(1)	श्री बी०जे०खोदायजी		अध्यक्ष
(2)	श्री बी०एन०खन्ना	आवास आयुक्त	सदस्य
(3)	श्री सत्तार अहमद		सदस्य
(4)	श्री गुलाब सेहरा		सदस्य
(5)	श्री राम औतार दीक्षित		सदस्य
(6)	श्री अरविन्द वर्मा	विशेष सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(7)	श्री के०एन०द्विवेदी	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
(8)	श्री एन०बी०लाल	प्रशासन, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य
(9)	श्री जे०पी०दूबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

क्रम सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
(1)	परिषद् की दिनांक 15 अप्रैल, 1977 को हुई वर्ष 1977 की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	iv(1)/77	परिषद् व्दारा सर्वसम्मति से दिनांक 15 अप्रैल, 1977 को हुई वर्ष 1977 की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।
(2)	परिषद् की वर्ष 1977 की तृतीय बैठक दिनांक 15 अप्रैल, 1977 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट ।	iv/(2)/77	परिषद् ने वर्ष 1977 की तृतीय बैठक दिनांक 15 अप्रैल, 1977 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । पद संख्या 7 के क्रम 4 के सम्बंध में प्रशासनिक व्यय का ब्योरा परिषद् के समक्ष बैठक में रखा गया जिसका परिषद् व्दारा अवलोकन किया गया ।
(3)	परिषद् व्दारा गठित समितियों के सम्बंध में ।	iv /(3)/77	परिषद् व्दारा गठित समितियों के सम्बंध में रखा गया प्रस्ताव परिषद् व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा समितियों की नियुक्ति, उनके संगठन और प्रक्रिया सम्बन्धी विनियमों के वर्तमान विनियम 11 को निम्न प्रकार संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी ।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
11. A committee may co-opt members but the number of co-opted members shall not exceed 1/3 of the number of the original members.	11. A committee may co-opt members but the number of co-opted members shall not exceed 1/3 of the number of the original members.

कृ०प०उ०

1	2	3	4

Provided that where no member of the committee except the Housing Commissioner is present, the Housing Commissioner shall co-opt any person as a member on the committee.

)	मेरठ की आवासीय योजनाओं में सर्वश्री कालीचरण व सत्य प्रकाश त्यागी ठेकेदारों व्दारा किये गये कार्यों के सम्बंध में ।	iv/(4)/77	मेरठ में आवासीय योजनाओं में सर्वश्री कालीचरण, सत्य प्रकाश त्यागी ठेकेदारों व्दारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी का परिषद् व्दारा अवलोकन किया गया और जारी किये गये आदेशों का, जिनके अनुसार 125 भवन जिनके केवल नींव पड़े हुये हैं तथा 95 भवन जिनकी चुनाई छत तक हो चुकी है, सभी को गिराकर थल समतल कर दिया जाना है और नये ले-आउट बनाकर उन पर नये भूखण्ड बनाये जाने हैं और तत्पश्चात् जिन्हें नीलाम किया जाना है, सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी । परिषद् व्दारा इस सम्बंध में निम्नलिखित निर्णय भी सर्वसम्मति से लिये गये । 1- उपरोक्त भवनों की नींव को खुदवाकर तथा भवनों के गिराने से जो मलवा प्राप्त हो उससे प्राप्त धनराशि को क्षतिकी पूर्ति में लगाया जाय । 2- ठेकेदारों के विरुद्ध जो मुकदमें चल रहे हैं उनकी पैरवी चुस्ती से की जाय । 3- परिषद् व्दारा गठित उप समिति व्दारा जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों की जिम्मेदारी इन खराब कार्यों के लिये पायी गयी है, उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही शीघ्र करके उसके सम्बंध में सूचना परिषद् के समक्ष रखी जाय । 4- योजना में इन ठेकेदारों व्दारा बनाये गये भवनों के अलावा जो अन्य थल हैं, उन पर काम तेजी से किया जाय ।
)	परिषद् सहकारी अधिकारी (आवास) को स्थानीय यात्राओं के लिये भत्ता की स्वीकृति ।	iv/(5)/77	परिषद् व्दारा यह निर्णय लिया गया कि जो सहकारी अधिकारी(आवास) अपने वाहन का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें परिषद् कर्मचारियों की भाँति देय वाहन भत्ता स्वीकार किया जाय। यह भत्ता रू० 45 अथवा रू० 60 प्रतिमास, वाहन के अनुसार जो भी देय हो, उसी दशा में देय होगा जबकि वे अपना वाहन चालू हालत में रखकर प्रयोग करें। अन्य सहकारी अधिकारियों को स्थानीय यात्राओं के सम्बंध में शासनादेश संख्या-स-1-1233/दस-10(21)-71 दिनांक 25 मई, 1976 को जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
(6)	मुख्यालय पर गोदाम एवं सर्वेन्ट क्वार्टर्स का निर्माण ।	iv/(6)/77	परिषद् ने सर्वसम्मति से मुख्यालय पर गोदाम एवं सर्वेन्ट् क्वार्टर्स बनाये जाने की स्वीकृति 1.28 लाख का अनुमानित लागत पर प्रदान की ।
(7)	नर्सरी स्थापित करने हेतु मालियों के पदों के सृजन के सम्बंध में ।	iv/(7)/77	नर्सरी स्थापित करने हेतु मालियों के दो पदों के सृजन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद् द्वारा स्वीकार किया गया ।
(8)	परिषद् के विरुद्ध दायर रिटों, रिफरेन्सेज तथा अन्य वादों की प्रभावी पैरवी के सम्बंध में ।	iv/(8)/77	परिषद् के विरुद्ध दायर रिटों, रिफरेन्सेज तथा अन्य वादों को प्रभावी पैरवी के सम्बंध में प्रस्तुत टिपणी पर परिषद् द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्थान पर तहसीलदार के वेतनमान में एक पद सृजित कर दिया जाए जिस पर एक तहसीलदार या अन्य अधिकारी नियुक्त कर लिया जाये । परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से नियुक्त अधिकारी के लिये एक आशुलिपिक तथा एक अर्दली के पद के भी सृजन करने को भी अनुमति प्रदान की गई जिस पर आवश्यकतानुसार नियुक्ति कर ली जाए ।
(9)	हरिद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, ऋषिकेश (क्षेत्रफल 20 एकड़) की आपत्तियों की सुनवाई व नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि ।	iv/(9)/77	हरिद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, ऋषिकेश (क्षेत्रफल 20 एकड़) की आपत्तियों की सुनवाई व नियोजन समिति के निर्णय का परिषद् द्वारा अवलोकन किया गया और सर्वसम्मति से समिति के निर्णय की पुष्टि की गई तथा समिति के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति दी गयी ।
(10)	स्टर्डिया केमिकल्स के समीप ऋषिकेश में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-11 (क्षेत्रफल 120 एकड़) के सम्बंध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई व नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि ।	iv/(10)/77	स्टर्डिया केमिकल्स के समीप ऋषिकेश में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-11 (क्षेत्रफल 120 एकड़) के सम्बंध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई व नियोजन समिति के निर्णय का परिषद् द्वारा अवलोकन किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि यह योजना बड़े क्षेत्रफल की है और ऋषिकेश की एक योजना की स्वीकृति दे दी गयी है अतः फिलहाल इस योजना के चलाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। पंजीकरण के बाद यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो इस योजना को पुनः परिषद् के समक्ष रखा जा सकता है।
(11)	देहरादून रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2, ऋषिकेश (क्षेत्रफल 18.27 एकड़ अनुमानित लागत रु० 11.35 लाख) की आपत्तियों पर नियोजन समिति का निर्णय ।	iv/(11)/77	देहरादून रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2, ऋषिकेश (क्षेत्रफल 18.27 एकड़) के सम्बंध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई व नियोजन समिति के निर्णय का परिषद् द्वारा अवलोकन किया गया। विचार विमर्श के समय यह बताया गया कि इस योजना में पेड़ बहुत काफी हैं। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि योजना का पुनः निरीक्षण कर लिया जाए और तत्पश्चात् इसे पुनः परिषद् के समक्ष रखा जाए ।

क्र०पृ०उ०

1	2	3	4
(12)	नक्खास धर्मशाला भूमि विकास योजना, फैजाबाद में स्थित कब्रों का मामला ।	iv/(12)/77	नक्खास धर्मशाला भूमि विकास योजना, फैजाबाद के सम्बंध में प्रस्ताव का परिषद् द्वारा अवलोकन किया गया और सर्व-सम्मति से ये निर्णय लिया गया कि कब्रों के चारों ओर प्रत्यावेदनकर्ता को चहार-दीवारी बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
(13)	रानीपुर हरिद्वार में बो०एच० ई० एल० से 275 एकड़ भूमि का आवास परिषद् को आवास योजना हेतु हस्तान्तरण ।	iv/(13)/77	परिषद् द्वारा रानीपुर, हरिद्वार में बो० एच०ई०एल० से 275 एकड़ भूमि के परिषद् को हस्तान्तरण के सम्बंध में प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार विमर्श के समय आवास आयुक्त द्वारा यह बताया गया कि बो०एच०ई०एल० के जनरल मैनेजर उनसे इस सम्बंध में बातचीत करने आ रहे हैं । अतः परिषद् द्वारा सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भूमि का कब्जा तो ले लिया जाय किन्तु आवास आयुक्त जनरल मैनेजर से प्रत्येक दृष्टिकोण से अर्थात भूमि के मूल्य, उसके विकास पर व्यय आदि के सम्बंध में बात-चीत कर लें और उसके बाद जो स्थिति सामने आये उसका पूर्ण ब्यौरा देते हुये इस मामले को परिषद् के सम क्ष पुनः रखा जाय ।
(14)	परिषद् को भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष-1977-78 में उत्तर प्रदेश शासन से रु० 50.00 लाख का ऋण ।	iv/(14)/77	परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से परिषद् को भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष-1977 में उत्तर प्रदेश शासन से रु० 50 लाख के ऋण प्राप्त किये जाने को अनुमति प्रदान की गयी।
(15)	वर्ष 1977-78 में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा रु० 5 करोड़ के गारण्टीड ऋण पत्र जारी करने के सम्बंध में ।	iv/(15)/77	परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष 1977-78 में 5 करोड़ के गारण्टीड ऋण पत्र जारी किये जाने हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गयी ।
(16)	उ०प्र० सहकारी आवास संघ लि०, लखनऊ को रु० 20.00 लाख का अल्पकालीन ऋण दिये जाने के सम्बंध में ।	iv/(16)/77	उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि०, लखनऊ को रु० 20 लाख का अल्प-कालीन ऋण दिये जाने के सम्बंध में प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार विमर्श के समय आवास आयुक्त द्वारा यह बताया गया कि संघ को जो पिछला ऋण दिया गया था वह वापस मिल गया है। परिषद् ने सर्वसम्मति से 20 लाख रुपये का पुनः संघ को अल्प कालीन ऋण दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की । साथ ही साथ परिषद् द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि संघ को ऋण देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि परिषद् को किसी प्रकार ब्याज में हानि न हो ।

क०प०उ०

95

1	2	3	4
(17)	परिषद् कर्मचारियों को भवनों के मूल्यांकन में ब्याज की दर का उचित निर्धारण ।	iv/(17)/77	परिषद् कर्मचारियों को आवंटित भवनों के मूल्यांकन में ब्याज की दर के निर्धारण के सम्बंध में प्रस्तुत टिप्पणी पर परिषद् द्वारा विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि : 1- गत दो वर्षों में अधिकारियों/कर्मचारियों को जिनमें प्रतिनियुक्ति पर आये तथा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे, किन किन श्रेणी के कितने भवनों/प्लाटों का आवंटन किया गया और उनके वास्तविक मूल्य पर उन्हें अलग-2 कितनी छूट दी गयी। 2- उपरोक्त दोनों श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन/भूखण्ड आवंटन किये जाने के सम्बंध में शासन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भवन तथा भूखण्ड के क्रय अथवा निर्माण हेतु दिये जाने वाले अग्रिम पर देय ब्याज की दृष्टि में रखते हुये मामला पुनः परिषद् के समक्ष रखा जाय ।
(18)	सहायक निदेशक(पब्लिसिटी-कम- पब्लिक रिलेशन्स) के लिए स्टाफ की स्वीकृति ।	iv/(18)/77	सहायक निदेशक(पब्लिसिटी -कम -पब्लिक रिलेशन्स) के लिये स्टाफ के सम्बंध में प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार विमर्श के पश्चात् परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से आवास आयुक्त तथा विशेष सचिव(वित्त) की एक उपसमिति का गठन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उप समिति का निर्णय परिषद् का निर्णय माना जायगा किन्तु निर्णय परिषद् के सूचनार्थ अगली बैठक में रखा जाय ।
(19)	डोमरीलो गृहस्थान योजना, मिर्जापुर ।	iv/(19)/77	परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से डोमरीलो गृहस्थान योजना को परिषद् अधिनियम की धारा- 28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की गयी ।
(20)	इन्दिरा नगर योजना सेक्टर -4 में राज्य सरकार को 100 एकड़ भूमि देने तथा टाईप-चार के 100 भवनों का निर्माण ।	iv/(20)/77	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-4 में राज्य सरकार को 100 एकड़ भूमि देने तथा उक्त भूमि में टाइप -4 के 100 भवनों के निर्माण के सम्बंध में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी पर परिषद् द्वारा विचार किया गया और रखे गये प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई ।
(21)	बुलन्द शहर मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 हापुड़ की धारा 31(2) के अधीन परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन ।	iv/(21)/77	बुलन्दशहर मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 हापुड़ की धारा 31(2) के अधीन अग्रिम कार्यवाही किये जाने की परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमति भी प्रदान की गयी ।

[signature]

क्रमशः०

1	2	3	4
(22)	कटरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बस्ती की धारा 31(2) के अधीन परिषद, को स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन ।	iv/(22)/77	कटरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बस्ती की धारा 31(2) के अधीन अग्रिम कार्यवाही किये जाने को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गयी ।
(23)	मेरठ मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2, हापुड़ की धारा 31(2) के अधीन परिषद् से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन ।	iv/(23)/77	मेरठ मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2 हापुड़ की धारा 31(2) के अधीन अग्रिम कार्यवाही किये जानेकी परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गयी ।
(24)	दुर्बल आय वर्ग के भवनों पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त करना ।	iv/(24)/77	दुर्बल आय वर्ग के भवनों पर दी जाने वाली सब्सिडी के सम्बंध में टिप्पणी में रखे गये प्रस्ताव को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गयी । साथ ही साथ यह भी निदेश दिये गये कि दुर्बल आय वर्ग के भवनों का मूल्य उससे अधिक नहीं होना चाहिये जितना हुडको द्वारा निर्धारित किया गया है और बराबर प्रयास यही होना चाहिए कि इन वर्गों के भवनों का मूल्य कम से कम रहे ।
(25)	परिषद् स्रोत से बनाये जाने हेतु भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों का अनुमोदन ।	iv/(25)/77	परिषद् स्रोत से बनाये जाने वाले भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों के सम्बंध में रखे गये ब्यौरे का परिषद् द्वारा अवलोकन किया गया और सर्वसम्मति से इनके निर्माण किये जाने हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी ।
(26)	पार्क रोड योजना, लखनऊ में प्रस्तावित 96 मध्यम आय वर्ग के भवनों की राज्य सरकार द्वारा क्रय करने के सम्बंध में ।	iv/(26)/77	पार्क रोड योजना, लखनऊ में प्रस्तावित 96 मध्यम आय वर्ग भवनों के सम्बंध में रखी गयी टिप्पणी का परिषद् द्वारा अवलोकन किया गया और इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि जनता इस योजना में भवनों को लेने के लिये काफी इच्छुक है और लोगों ने इसके लिए पंजीकरण करा रखा है, सर्वसम्मति से परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन 96 प्रस्तावित भवनों में से 48 भवन जो निर्मित किये जा रहे हैं, के मूल्य के रूप में शासन से कुछ अग्रिम धन प्राप्त हो गया है, वे शासन को दे दिये जायें किन्तु शेष 48 भवनों में से जिनके लिये भी कुछ अग्रिम धनराशि हो शासन से प्राप्त हुयी है, 12-12 भवनों के दो ब्लाक शासन के लिये निर्मित किये जायें और शेष 24 भवन जनता के लिये निर्मित किये जायें। परिषद् ने यह भी निदेश दिया कि परिषद् के इस निर्णय से शासन को अवगत करा दिया जाय ।
(27)	इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा निम्न आय वर्ग आवास हेतु रू० 95.00 लाख के ऋण की स्वीकृति ।	iv/(27)/77	इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा निम्न आय वर्ग के आवास हेतु रूपया 95 लाख का ऋण टिप्पणी में दिये गये शर्तों के अधीन लिये जाने की तथा इस हेतु शासन से गारण्टी के लिये अनुरोध किये जाने की अनुमति परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान की गयी।

कृपया

1	2	3	4
			शासन द्वारा गारण्टी प्राप्त होने पर वांछनीय परिषद् की भी काउन्टर गारण्टी दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।
(28)	वर्ष-1977-78 में उ०प्र०शासन से मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत रू० 27.50 लाख एवं अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत रू० 22.50 लाख का ऋण ।	iv /(28)/77	वर्ष-1977-78 में उ०प्र० शासन से मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत रू० 27.50 लाख एवं अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत रू० 22.50 लाख का ऋण टिप्पणी में दिये गये शर्तों के अधीन लिये जाने की अनुमति परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान की गयी ।
29)	वर्ष-1972-73 में तृतीय श्रृंखला हेतु रू० 220 लाख एवं वर्ष 1973-74 में चतुर्थ श्रृंखला हेतु 110 लाख का ऋण पत्र क्रमशः दिनांक 22-3-73 एवं 21-9-73 को निर्गत किये जाने के सम्बंध में ।	iv /(29)/77	वर्ष 1972-73 में तृतीय श्रृंखला हेतु रुपया 220 लाख एवं वर्ष 1973-74 में चतुर्थ श्रृंखला हेतु रुपया 110 लाख के ऋण पत्र के सम्बंध में प्रस्तुत टिप्पणी का परिषद् द्वारा अवलोकन किया गया और सर्वसम्मति से रुपया 2.20 करोड़ तथा 1.10 करोड़ के बाजार ऋणों के उगाहे जाने सम्बंधी कृत कार्यवाही का अनुमोदन करते हुये शासन से अपेक्षित प्रत्याभूति के लिये अनुरोध किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी ।
(30)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2 रामपुर की धारा 31(2) के अधीन परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन ।	iv /(30)/77	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2 रामपुर की धारा 31(2) के अधीन अग्रिम कार्यवाही किये जाने की परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गयी ।
(31)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 रामपुर की धारा 31(1) के अधीन परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन ।	iv/(31)/77	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 रामपुर की धारा 31(1) के अधीन कार्यवाही किये जाने की परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गयी ।
(32)	परिषद् के कार्यकलापों के सम्बंध में टिप्पणी ।	iv /(32)/77	परिषद् के कार्य कलापों के सम्बंध में रखी गयी टिप्पणी का परिषद् द्वारा अवलोकन के पश्चात् परिषद् द्वारा यह निदेश दिये गये कि भविष्य में कार्य कलापों के सम्बंध में रखी गयी टिप्पणी में ग्रेफिक डिटेल का चार्ट भी होना चाहिये जिसके देखने से पूरी स्थिति का आभास हो जाय ।
(33)	ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विसिज के लिये परिषद् की नेहरू नगर योजना, देहरादून में स्टाफ के क्वार्टरों का निर्माण ।	iv/(33)/77	ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विसिज के लिये परिषद् की नेहरू नगर योजना, देहरादून में स्टाफ के क्वार्टरों के निर्माण के सम्बंध में प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया गया और प्रस्तावित 8 एकड़ भूमि को उन्हें हस्तान्तरित करने एवं उस पर परिषद् द्वारा उनके लिये भवन आदि निर्मित करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया ।
(34)	भवनों तथा प्लाटों के सम्बंध में मूल्यांकन निश्चित् करने हेतु ।	iv /(34)/77	भवनों तथा प्लाटों के सम्बंध में मूल्यांकन निश्चित् करने हेतु गठित समिति के पुनर्गठन करने के प्रस्ताव का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया और समिति के निम्नलिखित सदस्य निर्धारित किये गये: 1- अध्यक्ष, आवास विकास परिषद् 2- आवास आयुक्त 3- कार्य निदेशक 4- ज्येष्ठ वित्त अधिकारी

1	2	3	4
			5- सम्प्रेक्षण एवं मूल्यांकन अधिकारी 6- सम्बन्धित सहायक आवास आयुक्त (सम्पत्ति प्रबन्ध विभाग) सम्प्रेक्षण एवं मूल्यांकन अधिकारी इस समिति के सचिव होंगे । परिषद् ने यह भी निदेश दिया कि कम से कम दो योजनाओं का भूमि अध्याप्ति तथा प्रिलिमनरी इस्टीमेटस् से लेकर उसके कम्पलीसन तक के मूल्यांकन का पूर्ण ब्यौरा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ताकि इस बात को जानकारी हो सके कि शुरू से मूल्यांकन में कितना अन्तर पड़ जाता है और यदि यह अन्तर काफी होता जाता है तो इसके क्या कारण हैं तथा इन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है ताकि किसी प्रोजेक्ट के प्रारम्भिक प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय के आंकड़ों में बहुत अन्तर न हो ।
(35) मुख्यालय स्थित कर्म तथा कलेक्शन विभाग के लिये अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति ।	iv/(35)/77		मुख्यालय स्थित कर्म तथा कलेक्शन विभाग के लिये अतिरिक्त स्टाफ के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किये जाने के पश्चात् परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित सदस्यों को एक उपसमिति गठित की गयी ताकि वे प्रस्ताव पर विचार करके निर्णय लें : 1- आवास आयुक्त अध्यक्ष 2- विशेष सचिव, वित्त 3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उपसमिति का निर्णय परिषद् का भी निर्णय माना जायगा किन्तु उपसमिति का निर्णय परिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाए ।
(36) लखनऊ में दूर दर्शन केन्द्र के कर्मचारियों के लिये आवास का आवंटन ।	iv/(36)/77		लखनऊ में दूर दर्शन केन्द्र के कर्मचारियों के लिये आवास के आवंटन के सम्बंध में प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन के पश्चात् परिषद् द्वारा इस पर विचार स्थगित किया गया ।
(37) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।	iv/(37)/77		1- अध्यक्ष के समक्ष यह बात आयी कि योजनाओं में बहुत काफी भूमि पार्क आदि के लिये छोड़ दी जाती है जिनका उपयोग भवनों तथा मकानों के लिये नहीं होता है और यह प्रस्ताव किया गया कि भूमि का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिये। विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इसे सम्बंध में पूर्ण रूपेण विचार करके मामला परिषद् के समक्ष रखा जाय कि किस प्रकार भूमि का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सकता है । 2- नजूल भूमि जहाँ जहाँ उपलब्ध हो सके वहाँ इसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाय ताकि भवनों का मूल्य अधिक न हो और विशेष कर निर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों के भवनों का मूल्य कम रहे क्योंकि नजूल की भूमि के दाम ज्यादा नहीं देने होते हैं ।

पुष्टि की गई

अध्यक्ष 20.8.77